न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(76)

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 1614–एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 12.05.2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गंजबासौदा जिला विदिशा प्रकरण कमांक 106/अपील/2014–15

अजमद खां नाबालिग पुत्र मिस्टर खां सरपरस्त
मिस्टर खां जाति मुसलमान
निवासी ग्राम धटेरा तहसील त्योंदा
जिला विदिशा म0प्र0 .....**आवेदक**

विरुद्ध

कुरैशा बी बेवा अतीक खां जाति मुसलमान
निवासी अहाता रुस्तम खां श्यामला हिल्स
भोपाल (म.प्र.) .....**अनावेदिका**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी
अनावेदिका की ओर से अधिवक्ता श्री अरशद अली

आदेश

(आज दिनांक 6/1/18 **को पारित)**

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गंजबासौदा जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 106/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 के विरुद्ध

म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार त्योंदा के आदेश दिनांक 12.02.2015 के विरुद्ध संहिता की धारा 44 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी गंजबासौदा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। प्रकरण में प्रचलन के दौरान आवेदक द्वारा आदेश 19 नियम 1(2) सीपीसी के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आदेश दिनांक 12.05.2016 के द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त कर प्रकरण धारा–5 पर तर्क हेतु नियत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिये गये हैं कि अनावेदिका ने अपने धारा–5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ–पत्र की कॉलम नं. 2 में नामांतरण की जानकारी दिनांक 28.07.2015 दर्शायी है जबकि अनावेदिका को नामांतरण एवं अधीनस्थ न्यायालय त्योंदा में चल रहे प्रकरण की जानकारी तत्समय से रही है। आवेदन को समय में लाने के लिए असत्य तथ्य दर्शा कर शपथ–पत्र पेश किया है जिस पर कूट परीक्षण किया जाना अति आवश्यक था। कूट परीक्षण का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त करने में कानूनी भूल की है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि जहां म.प्र. भू–राजस्व संहिता के नियम मौन हों वहां सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। उसी आधार पर आवेदक द्वारा आदेश 19 नियम 1(2) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें चाही गई सहायता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न दिया जाकर कानूनी भूल की गई है।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है जिसमें उनके द्वारा मुख्य रूप से यह कहा गया है कि आवेदक द्वारा जो आवेदन दिया

गया है वह अनावेदिका को परेशान करने के उद्देश्य से दिया गया है तथा वह फर्जी वसीयत के आधार पर भूमि को हड़पना चाहता है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट होता है कि प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर तर्क हेतु नियत था इसी दौरान आवेदक द्वारा आदेश 19 नियम 1(2) सीपीसी के तहत पेश किया गया जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक द्वारा जबाव में अंकित किए गए इस तथ्य कि आवेदन पत्र विलंब के उद्धेश्य से दिया गया है तथा आदेश 19 नियम 1(2) सीपीसी के प्रावधाना धारा 5 अवधि विधान पर लागू नहीं होते हैं, के आधार पर आवेदन पत्र उचित आधार नहीं रखने के कारण निरस्त किया जाकर प्रकरण धारा 5 पर तर्क हेतु नियत किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो आदेश आवेदक के आवेदन पर पारित किया है वह उचित है। इस न्यायालय के समक्ष भी आवेदक अधिवक्ता ऐसा कोई ठोस एवं पर्याप्त कारण दर्शाने में असमर्थ रहे हैं, जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप आवश्यक हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन का निराकरण अभी किया जाना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर